स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('बैंक' या 'नाबार्ड') के एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 की स्थिति में तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां ('एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरण') शामिल हैं.

   हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एकल आधार पर तैयार किए गए ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 द्वारा यथापेक्षित जानकारी देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2022 की स्थिति में बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभों और इसके नकदी प्रवाह की सही और साफ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाएँ पूरी करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

महत्वपूर्ण मुद्दा

3. क. कोविड - 19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के नोट अ.17 और बैंक के प्रबंधन द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपने परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के आकलन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है. इस महामारी का परिणाम और प्रबंधन द्वारा किए गए ऐसे आकलन भविष्य में उभरने वाली परिस्थितियों पर निर्भर होंगे.

   ख. एकल वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के नोट संख्या आ 23 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें एक एनपीए खाते के लिए किए गए प्रावधान हेतु आरक्षित निधि में से रु. 409.63 करोड़ की राशि डेबिट की गई. हमारी रिपोर्ट इस दृष्टि से संशोधित नहीं है.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मदें

4. हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे हैं जो वर्ष के लिए एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर एकल आधार पर तैयार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और हम उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते. अपने व्यावसायिक मत में हमने निम्नलिखित को ऐसी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय किया है जिन्हें हमारी रिपोर्ट में अभिव्यक्त करना है:

प्रमुख लेखापरीक्षा सामग्री का विवरण	*मद की लेखापरीक्षा प्रक्रिया*
अनेक आईटी प्रणालियाँ : बैंक अनेक और अलग-अलग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों पर प्रतिदिन प्रोसेस किए जाने वाले लेनदेनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा पद्धति व्यापक रूप से इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस तथा उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों के माध्यम से जेनरेट की गई अनेक रिपोर्टों पर निर्भर करती है. वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों में शामिल हैं : • सीएलएमएएस - लेनदेनों की प्रोसेसिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रणाली. • टीएएलएमएस - ट्रेजरी परिचालन • एम्पावर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन • एफ़एएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और व्ययों की प्रोसेसिंग • उक्त में से एक या अधिक प्रणालियों के इंटरफेस/ इंटरप्ले से रिपोर्टें निर्मित या जेनरेट होती हैं. एप्लीकेशनों और अंतर्निहित डाटा में परिवर्तन उपयुक्त रीति से किए जाएँ यह सुनिश्चित करने में आईटी सामान्य और एप्लीकेशन नियंत्रण महत्वपूर्ण है. पर्याप्त नियंत्रण रहने से संभावित धोखाधड़ी या एप्लीकेशनों और डाटा में परिवर्तनों के कारण होने वाली जोखिम का शमन करने में मदद मिलती है. बैंक का प्रबंधन कई सुधारात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिससे उम्मीद है कि वे वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों का जोखिम कम करने में सहायक होंगी. इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं के लिए निवारणात्मक और अन्वेषक नियंत्रणों का कार्यान्वयन शामिल है. इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में हमने लेखापरीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का मूल्यांकन कर लेखापरीक्षा की आयोजना की, इसीलिए यह प्रमुख लेखापरीक्षा मद दी गई है	हमने कई लेखापरीक्षा कार्यपद्धतियां अपनाईं जिनमें शामिल हैं: एप्लीकेशनों पर परिचालन प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय आधार माने जाने वाले डाटा आधारों तक पहुँच के अधिकार सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों से संबंधित सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा जून 2021 को समाप्त छमाही में की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा. हमारी लेखापरीक्षा जांचों की रूपरेखा में निम्नलिखित को शामिल किया गया: • बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; • चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता तारीखों की पुनर्गणना की गई; • चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफ़ेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; • चयन के आधार पर टीएएलएमएस, एम्पावर और वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जांच की गई; • लेखा प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां पोस्ट होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और निरूपण प्राप्त करने के लिए 'रूट कॉज़ विश्लेषण' और ऐसी प्रविष्टियों के बारे में पर्याप्त जांच और नियंत्रण की कमी संबंधी विस्तृत पूछताछ की गई. • मुख्य वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों के लिए सिस्टम से जेनेरेट की गई रिपोर्टों और लेखा प्रविष्टियों का मैन्युअल परीक्षण (अर्थात कंप्यूटर सिस्टम के सभी पहलुओं का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सुधारा जा सके. • सिस्टम में गलत प्रविष्टि करने से बचने, अधिक उपयोगी सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टें प्राप्त करने और सिस्टम में अधिक फीचर्स/ फील्ड्स को शामिल करने के उद्देश्य से सीएलएमएएस 2.0 को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है.

वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

5. अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन, वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर, शामिल हैं ('अन्य सूचना').

   अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते.

   एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि हम अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हम से यह अपेक्षित है कि हम एसए 720. 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत यथापेक्षित अभिशासन के प्रभारियों को इस विषय को संप्रेषित करें.

एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

6. प्रबंधन का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार एकल आधार पर इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इस दायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर

रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें.

एकल आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथा लागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रहने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर लेखांकन को निरंतर आधार पर प्रयोग करते रहने के लिए प्रबंधन और निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं.

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं.

एकल आधार पर वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

7. इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है कि एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं. अन्य उद्देश्य है एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन एकल आधार पर तैयार किए गए विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों. लेखांकन मानदंडों के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा पद्धतियां इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में दी जा रही हैं

कृते **एमकेपीएस एंड असोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं 302014E

सीए **रामकृष्णन मणि**
साझेदार
सदस्यता संख्या. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 25, 2022
यूडीआईएन: 22032271AJOALN5772

अन्य मदें

8. इन वित्तीय विवरणों में प्रधान कार्यालय सहित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 स्टाफ कॉलेज की विवरणियां शामिल हैं जिनका हमने लेखा परीक्षा के प्रयोजन से दौरा किया था जिनका बैंक के अग्रिमों में 84.41%, जमाओं में 100.00%, ब्याज आय में 87.28% और ब्याज व्यय में 100.00% हिस्सा था. इन कार्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया था. बैंक के शेष कार्यालयों का हमने दौरा नहीं किया, किंतु प्रधान कार्यालय में उनकी विवरणियों की समीक्षा की गई है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. शीर्षों और उप शीर्षों सहित बैंक का तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किए गए हैं.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

ख. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में जो लेनदेन आए हैं वे बैंक की शक्तियों के भीतर हैं.

ग. हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा न किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं.

घ. हमारे अभिमत में एकल आधार पर तैयार किए गए ये वित्तीय विवरण सभी प्रकार से लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

("एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व" शीर्षक पैरा 7 में संदर्भित)

लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही :

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मदों के लिए ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- हम बैंक के प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के 'निरंतर चलने वाली संस्था' नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय-योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों के आधार पर ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*निधियां और देयताएं*	*अनुसूची*	*31.03.2022 की स्थिति के अनुसार*	*31.03.2021 की स्थिति के अनुसार*
1	i) पूंजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	15,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	1	43,939.18	39,268.95
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	16,098.00	16,094.00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	6,602.27	6,371.61
5	सरकारी योजनाएं	4	5,888.63	3,485.35
6	जमाराशियां	5	2,52,126.69	2,41,572.10
7	बॉण्ड और डिबेंचर	6	2,30,592.70	1,95,882.39
8	उधार	7	1,63,657.78	1,21,657.83
9	चालू देयताएं और प्रावधान	8	21,487.06	18,386.07
	कुल		**7,57,472.31**	**6,57,798.30**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कान्ट्रा के अनुसार		925.97	1,020.66

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*संपत्ति और आस्तियां*	*अनुसूची*	*31.03.2022 की स्थिति के अनुसार*	*31.03.2021 की स्थिति के अनुसार*
1	नकदी और बैंक शेष	9	5,791.49	4,407.56
2	निवेश	10	66,263.06	45,505.24
3	अग्रिम	11	6,79,842.44	6,02,290.30
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)	12	551.93	565.84
5	अन्य आस्तियां	13	5,023.39	5,029.36
	कुल		**7,57,472.31**	**6,57,798.30**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कान्ट्रा के अनुसार		925.97	1,020.66
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

आलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग, मुंबई

दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर. चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आय*	*अनुसूची*	*2021-22*	*2020-21*
1	ऋण और अग्रिम पर ब्याज		33,602.47	31,196.24
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय		3,030.63	3,372.89
3	अन्य आय		128.19	102.04
	कुल "अ"		**36,761.29**	**34,671.17**

क्रम सं.	*व्यय*	*अनुसूची*	*2021-22*	*2020-21*
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)	14	26,555.86	24,219.55
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	2,136.01	1,979.15
3	संवर्धन गतिविधियों पर व्यय	15 B	111.88	95.05
4	प्रावधान	16	1,214.84	2,249.26
5	मूल्य ह्रास		49.78	46.75
	कुल "आ"		**30,068.37**	**28,589.76**
6	**कर-पूर्व लाभ (अ-आ)**		**6,692.92**	**6,081.41**
7	प्रावधान			
	क) आयकर के लिए		1,628.00	1,750.00
	ख) आस्थगित कर के लिए (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)		-16.94	11.45
8	**कर-पश्चात् लाभ**		**5,081.86**	**4,319.96**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां	18		

नोट: नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 के तहत निर्धारित प्रारूप में अपेक्षानुसार "छूट और कमीशन" शीर्ष के तहत अलग से प्रकटीकरण किए बिना अर्जित छूट और कमीशन को ऋण और अग्रिम या निवेश संचालन-जमा से प्राप्त आय के संबंधित शीर्ष के तहत समूहीकृत किया गया है.

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विनियोजन/ आहरण	*2021-22*	*2020-21*
1	**वर्ष का लाभ-अधोनीत**	**5081.86**	**4,319.96**
2	जोड़ें: लाभ और हानि लेखा को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण [अनुसूची 1 देखें]		
क)	सहकारिता विकास निधि	30.53	18.71
ख)	अनुसंधान और विकास निधि	31.82	29.95
ग)	उत्पादक संगठन विकास निधि	5.11	4.03
घ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	6.23	20.00
ङ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	22.17	17.67
च)	जलवायु परिवर्तन निधि	1.75	0.97
छ)	ग्राम्य विकास निधि	46.09	27.67
झ)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	-	6.00
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**	**5,225.56**	**4,444.96**
	घटाएं : निम्नलिखित में अंतरित किया गया: [अनुसूची 1 और 2 देखें]		
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	1,065.00	1,100.00
ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
घ)	अनुसंधान और विकास निधि	31.82	29.95
ङ)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,125.00	457.00
च)	सहकारिता विकास निधि	130.53	58.71
छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि	5.11	104.03
ज)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	6.23	20.00
झ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	22.17	17.67
ञ)	ग्राम्य विकास निधि	46.09	47.67
ट)	जलवायु परिवर्तन निधि	1.75	0.97
ठ)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	-	16.00
ड)	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	5.21	7.03
ढ)	प्रारक्षित निधि	2,784.65	2,583.93
	कुल	**5,225.56**	**4,444.96**

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

आलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग, मुंबई

मुंबई
दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर. चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

तुलन-पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारम्भिक जमा*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित*	*लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित/ आहरण*	*31.03.2022 को शेष*
1	प्रारक्षित निधि*	26,245.11	2,784.65	409.63	28,620.13
2	अनुसंधान और विकास निधि	50.00	31.82	31.82	50.00
3	प्रारक्षित पूंजी	74.81	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,697.00	1,125.00	-	2,822.00
5	सहकारिता विकास निधि	100.00	130.53	30.53	200.00
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधियां	10,535.00	1,065.00	-	11,600.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	300.00	5.11	5.11	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	6.23	6.23	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	22.17	22.17	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	110.00	46.09	46.09	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	1.75	1.75	20.00
12	उत्प्रेरक पूंजी निधि	20.00	-	-	20.00
13	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	7.03	5.21	-	12.24
	कुल	**39,268.95**	**5,223.56**	**553.33**	**43,939.18**
	गत वर्ष	**34,950.99**	**4,442.96**	**125.00**	**39,268.95**

* *नोट:* 'आरक्षित निधि' और अन्य रिजर्व के लिए नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि खाता को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूंकि बैंक में आरक्षित निधि फंड में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण इसे अलग से ऊपर प्रकट नहीं किया गया है.

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारम्भिक जमा*	*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित*	*31.03.2022 को शेष*
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,497.00	1.00	1.00	14,499.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण)निधि	1,597.00	1.00	1.00	1,599.00
	कुल	**16,094.00**	**2.00**	**2.00**	**16,098.00**
	गत वर्ष	**16,090.00**	**2.00**	**2.00**	**16,094.00**

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2021 को प्रारम्भिक जमा*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा किया गया ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन*	*31.03.2022 को शेष*
अ.	**अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफ़डब्ल्यू-नाबार्ड V निधि	0.53	-	0.02	-0.09	0.64
2	केएफडब्ल्यू – एनबी-यूपीएनआरएम-सहबद्ध उपाय	-	0.63	-	0.63	-
3	केएफडब्ल्यू – एनबी-यूपीएनआरएम-वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	-	0.15
4	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	0.67	-	0.03	-	0.70
5	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात	0.03	-	-	-	0.03
6	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम – राजस्थान	0.06	-	-	-	0.06
7	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
8	जलवायु परिवर्तन – (एएफ़बी)-परियोजना निर्माण अनुदान	19.18	3.59	0.77	1.26	22.28
9	जीआईजेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	-	1.41
10	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	2.47	17.62	-	18.02	2.07
11	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	1.10	-	0.04	-	1.14
आ.	**अन्य निधियां**					
1	वाटरशेड विकास निधि (i)	1,451.22	106.80	89.11	119.88	1,527.25
2	ब्याज विभेदक निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	235.71	-	-	2.11	233.60
3	ब्याज विभेदक निधि – टीएडबल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि (ii)	1,336.44	26.70	100.09	121.10	1,342.13
6	वित्तीय समावेशन निधि (iii)	2,731.47	320.41	168.91	353.69	2,867.10
7	वित्तीय समावेशन निधि – डिजिटल	11.97	-	-	3.86	8.11
8	पीओडीएफ़-आईडी (iv)	314.15	80.10	13.46	75.04	332.67
9	राष्ट्रीय बैंक – स्विस विकास सहयोग परियोजना	65.27	0.84	-	-	66.11
10	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ –कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	20.55	-	0.06	2.19	18.42
11	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिव्ज – (सी-पेक)	2.95	-	0.18	-	3.13

क्रम सं.	विवरण	01.04.2021 को प्रारम्भिक जमा	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा किया गया ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/समायोजन	31.03.2022 को शेष
12	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	109.82	24.01	4.39	-	138.22
13	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	60.56	42.81	2.07	74.29	31.15
	कुल	**6,371.61**	**623.51**	**379.13**	**771.98**	**6,602.27**
	गत वर्ष	**6,020.77**	**709.78**	**387.46**	**746.40**	**6,371.61**

*अनुसूची 18 का आ-27 देखें

उक्त निधियों में क्रेडिट किए गए ब्याज के अंतर की राशि पर भुगतान किया गया आयकर शामिल है.

i. अदा किए गए आयकर ₹ 26.88 करोड़ सहित

ii. अदा किए गए आयकर ₹ 6.72 करोड़ सहित

iii. अदा किए गए आयकर ₹ 80.64 करोड़ सहित

iv. अदा किए गए आयकर ₹ 20.16 करोड़ सहित

अनुसूची 4 – सरकारी योजनाएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2021 को प्रारम्भिक जमा	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा किया गया ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/समायोजन	31.03.2022 को शेष
अ	**सरकारी सब्सिडी योजनाएं**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी – टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.71	4.79	-	4.81	0.69
4	फसल उत्पादन हेतु फार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.03	-	-	-	0.03
7	पशुधन विकास कार्यक्रम – बिहार	0.09	-	0.01	-	0.10
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	1.47	-	-	-0.2	1.67
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.14	-	-	-2.02	2.16
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-
12	आईएसएएम – कृषि विपणन आधारभूत संरचना	31.01	173.41	-	163.41	41.01

क्रम सं.	विवरण	01.04.2021 को प्रारम्भिक जमा	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा किया गया ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/समायोजन	31.03.2022 को शेष
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – पीवीसीएफ़ ईडीईजी	75.72	74.75	-	70.48	79.99
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण – सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.08	-	-	-	0.08
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बैफ – रायबरेली – उत्तर प्रदेश	0.02	-	-	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	84.50	-	-	79.40	5.10
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	-	-	-	0.03
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम – सौर प्रकाश खाता	0.02	-	-	-2.74	2.76
20	सीएसएस – सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	-	0.03
21	पूंजी सब्सिडी योजना – कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	7.38	9.97	-	15.79	1.56
22	सीएसएस – एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	0.11	-	-	-	0.11
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	33.27	161.55	-	40.13	154.69
आ	**अन्य सरकारी योजनाएं**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	282.12	-	-	-1.68	283.80
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	37.15	-	-	9.34	27.81
3	प्रोड्यूस निधि	23.57	-	-	8.13	15.44
4	23 गैर लाइसेंसी जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	111.22	-	-	111.22	-
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	432.03	160.00	-	426.93	165.10
6	एएमआई – कार्यशाला सहायता निधि	0.02	-	-	-	0.02
7	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए पैकेज (एलटीसीसीएस)	20.00	-	-	-	20.00
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्संरचना	6.83	-	-	2.95	3.88
10	समग्र हथकरघा पैकेज	2.05	-	-	2.05	-
11	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडबल्यूआर)	2,246.02	10,569.16	-	7,822.36	4,992.82
12	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
	कुल	**3,485.35**	**11,153.63**	**0.01**	**8,750.36**	**5,888.63**
	गत वर्ष	**2,447.42**	**6,298.86**	**0.02**	**5,260.95**	**3,485.35**

* अनुसूची 18 का आ-27 देखें.

अनुसूची 5 – जमाराशियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	60.50	64.10
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां	1,47,226.72	1,36,226.93
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	44,541.43	44,644.51
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	9,898.10	9,921.00
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	5,380.00	5,540.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	44,709.94	44,825.56
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	310.00	350.00
	कुल	**2,52,126.69**	**2,41,572.10**

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	कर मुक्त बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-39 देखें)	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	1,07,292.00	75,648.30
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	-	1.29
4	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
5	बॉण्ड – एलटीआईएफ	35,931.50	33,615.40
6	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	18,755.00
7	एसबीएम (जी) - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
8	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉन्ड	1,754.60	1,754.60
	कुल	**2,30,592.70**	**1,95,882.39**

अनुसूची 7 - उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	केंद्र सरकार	-	
2	भारतीय रिजर्व बैंक	22,399.43	24,567.00
3	**अन्य:**		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाणपत्र	16,184.19	11,590.27
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	34,551.80	42,457.06
	(iii) त्रिपक्षीय रेपो	16,993.10	12,044.39
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	1,987.01	3,601.82
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	70,621.00	26,434.50
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	918.44	959.98
	कुल	**1,63,657.78**	**1,21,657.83**

अनुसूची 8 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	7,645.44	7,356.92
2	विविध लेनदार [अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-29 देखें]	3,243.24	1,392.99
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	45.61	86.93
4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखे)	21.69	5.21
5	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखे)	331.04	39.27
6	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखे)	378.51	374.99
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखे)	138.12	135.10
8	वेतन वृद्धि के लिए प्रावधान अनुसूची 18 की (टिप्पणी आ-33 देखे)	880.00	680.00
9	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	2.87	3.22
10	परिपक्व किन्तु दावा न किए गए बॉण्ड	17.63	31.74
11	बांड प्रीमियम	136.33	225.22
12	**प्रावधान और आकस्मिकताएं**	-	-
(क)	निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - सरकारी प्रतिभूतियां	704.50	355.70
(ख)	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन – एचटीएम	68.46	103.92
(ग)	मानक आस्तियों के लिए	2,731.00	2,623.00
(घ)	अनर्जक निवेश	332.89	650.34
(ङ)	काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविजन	2,014.45	1,264.45
(च)	अन्य आस्तियों और प्राप्यों हेतु प्रावधान	4.45	4.45
(छ)	आय कर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर छोड़कर]	2,790.83	3,052.62
	कुल	**21,487.06**	**18,386.07**

टिप्पणी: अनुसूची-11 में दर्शाई गई अग्रिम राशि के समक्ष अनर्जक अग्रिमों को समायोजित किया गया है..

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	हाथ में रोकड़	-	-
2	**निम्नलिखित के पास शेष:**		
	अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	363.61	843.23
	(ii) अन्य बैंकों में		
	क) चालू खाते में	1,722.88	619.33
	ख) बैंकों में जमा	3,705.00	2,945.00
	आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	*
	कुल	**5,791.49**	**4,407.56**

अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	**सरकारी प्रतिभूतियां**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां [अंकित मूल्य ₹333163670000 (₹356,24,48,60,000)]	35,437.50	37,878.80
	ख) ट्रेज़री बिल [अंकित मूल्य ₹57713660000 (₹565,00,00,000.00)]	5,629.89	556.31
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**	-	-
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) – प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]]	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	966.27	966.28
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कं. लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्स्चेज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	0.30	0.30
(ङ)	नेशनल कमोडिटी अण्ड डेरिवेटिव्स एक्स्चेंज लिमिटेड [56,25,000 (56,25,000) – प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर]	16.88	16.88
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड इक्विटी [प्रत्येक ₹ 1000 के 55,000 (55,000) शेयर]	9.75	9.75
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद [प्रत्येक ₹ 10 के 4,000 (4000)शेयर]	-	-
(ज)	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड [इक्विटी] [प्रत्येक ₹ 10 के 15,00,000 (15,00,000) शेयर]	1.50	1.50

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(झ)	नेशनल ई-रेपोजीटरी लि. [105,30,000 (105,30,000) - प्रत्येक ₹10 के शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपेन नेटवर्क [10,00,000 (0) ₹100 का प्रत्येक इक्विटीशेयर]	10.00	-
(ट)	अन्य इक्विटी निवेश	28.08	43.73
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(अ)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-36 देखें)	429.82	709.80
(आ)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	1,240.29	1,474.65
5	**सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शेयरधारिता**		
(क)	**सहायक संस्थाओं में शेयरधारिता**		
(i)	नैबफिंस [कर्नाटक] (पूर्व में नाबार्ड फ़िनान्शियल सर्विसेज (कर्नाटक) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [10,20,06,300 (10,20,06,300] – प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	102.01	102.01
(ii)	नैबसमृद्धि फायनेंस लिमिटेड [11,27,88,000 (10,52,88,000) - ₹10 का प्रत्येक इक्विटी शेयर]	145.05	145.06
(iii)	नैबकिसान फायनेंस लिमिटेड [15,05,00,063 (12,04,00,050) - ₹10 का प्रत्येक इक्विटी शेयर]	227.57	168.36
(iv)	नाबार्ड कंसल्टंसी सर्विसेज प्रा. लि. [50,00,000 (50,00,000) - ₹10 का प्रत्येक इक्विटी शेयर]	5.00	5.00
(v)	नैबवेंचर्स लि [2,50,00,000 (50,00,000) - ₹10 का प्रत्येक इक्विटी शेयर]	25.00	5.00
(vi)	नैबफाउंडेशन [50,00,000 (50,00,000) - ₹10 का प्रत्येक इक्विटी शेयर]	5.00	5.00
(vii)	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड [5,00,00,000 (5,00,00,000) - ₹10 का प्रत्येक इक्विटी शेयर]	50.00	50.00
(ख)	**संयुक्त उद्यम**	-	-
6	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	21,158.94	2,001.47
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹200,00,00,000 (₹650,00,00,000)	185.05	618.08
(ग)	जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य ₹0 (₹250,00,00,000)	-	243.44
(घ)	उद्यम पूंजी निधियां/ एआईएफ़	398.34	284.03
(ड़)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश [अनुसूची 18 का नोट आ-21.2 देखें]	119.29	148.26
	कुल	**66,263.06**	**45,505.24**

अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,19,562.90	1,06,372.45
(ख)	उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	7.57	15.15
(ग)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,38,692.47	1,98,800.36
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	9,822.42	4,566.76
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,42,525.62	1,32,723.87
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	4,776.63	5,155.31
(ग)	दीर्घावधि गैर परियोजना ऋण	345.63	58.73
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	23,319.06	17,998.73
(ड.)	उत्पादक संगठन विकास के लिए ऋण	15.49	37.58
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	22,314.19	20,038.21
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	303.69	293.35
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	53,283.32	51,712.54
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ़)	924.73	956.33
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	317.34	319.82
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,083.72	1,827.47
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	365.69	193.77
(ण)	**अन्य ऋण**:		
(i)	सूक्ष्म वित्त विकास इक्विटी निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.11	0.11
(ii)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	10.95	15.55
(iii)	जनजाति विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.08	0.34
(iv)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	52.78	85.17
(v)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.82	1.47
(vi)	नाबार्ड अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण [अनुसूची 18 की टिप्पणी आ 3.5 देखें.	-	-
	कुल	**6,79,842.44**	**6,02,290.30**

नोट: रु. 2109.50 करोड़ के अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर कुल अग्रिम

अनुसूची 12 – अचल आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-35 देखें)		
	अथ शेष	195.26	195.27
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	-	-
	उप-जोड़	195.26	195.27
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	195.26	195.27
	घटाएं : लीज प्रीमियमों का परिशोधन	62.47	60.81
	बही मूल्य	**132.79**	**134.46**
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-35 देखें)		
	अथ शेष	652.24	579.23
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	-	73.00
	उप-जोड़	652.24	652.23
	घटाएं : बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	652.24	652.23
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	317.93	300.91
	बही मूल्य	**334.31**	**351.32**
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	अथ शेष	64.48	66.57
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	2.49	-1.80
	उप-जोड़	66.97	64.77
	घटाएं : बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	1.53	0.29
	इति शेष (लागत पर)	65.44	64.48
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	58.36	60.40
	बही मूल्य	**7.08**	**4.08**
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	अथ शेष	187.84	159.28
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	22.47	31.91
	उप-जोड़	210.31	191.19
	घटाएं : बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	1.86	3.35
	इति शेष (लागत पर)	208.45	187.84
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	160.87	133.36
	बही मूल्य	**47.58**	**54.48**
5	वाहन		
	अथ शेष	11.64	8.55
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	6.06	5.97

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
	उप-जोड़	17.70	14.52
	घटाएं : बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	4.63	2.88
	इति शेष (लागत पर)	13.07	11.64
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	4.93	4.54
	बही मूल्य	**8.14**	**7.10**
6	चल रहे पूंजीगत कार्य	22.03	14.40
	कुल	**551.93**	**565.84**

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	उपचित ब्याज	3,179.06	3,252.84
2	प्राप्य डिस्काउंट	46.59	11.53
3	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1.24	0.70
4	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	53.88	37.53
5	स्टाफ को आवास ऋण	121.05	121.15
6	स्टाफ को अन्य अग्रिम	86.89	84.31
7	विविध अग्रिम	51.90	30.43
8	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)	163.95	147.01
9	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-28 देखें)	1,241.53	1,340.63
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	77.30	3.23
	कुल	**5,023.39**	**5,029.36**

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	**निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज**		
(क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमा	5,164.70	5,726.58
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,794.32	1,809.49
(ग)	अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	363.65	397.46
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	199.13	246.35
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,363.36	1,627.39
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	12.31	14.78
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमा	2.59	2.66
(ज)	मीयादी मुद्रा उधार	128.13	301.18
(झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-39 देखें)	12,788.15	9,955.36
(ञ)	बैंकों से प्राप्त मीयादी ऋण	1,817.55	510.99
(ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	25.31	28.33
(ठ)	वाणिज्यिक पेपर पर डिस्काउंट	1,002.54	1,040.96
(ड)	जमा प्रमाणपत्र पर डिस्काउंट	384.13	903.91
(ढ)	रेपो ब्याज व्यय	22.38	19.79
(ण)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	375.91	364.81
(त)	एस एल एफ़ के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	725.10	846.88
2	सीबीएलओ/ टीआरईपीएस पर डिस्काउंट	330.45	359.31
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम पर व्यय	26.45	29.77
4	स्वैप प्रभार	29.70	33.55
	कुल	**26,555.86**	**24,219.55**

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-33 देखें)	859.01	872.31
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	730.47	690.54
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	186.31	120.15
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	-	0.10
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.17	0.16
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	37.20	34.83
7	यात्रा व्यय	34.27	22.51
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	5.11	4.18
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	20.41	19.22
10	मरम्मत	23.80	14.93
11	लेखापरीक्षकों की फीस*	0.32	0.33
12	विधिक प्रभार	1.09	0.99
13	विविध व्यय	160.23	127.70
14	विविध आस्तियों पर व्यय	7.83	10.03
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	69.79	61.17
	कुल	**2,136.01**	**1,979.15**

* *नोट:* इसमें पूर्ववर्ती सांविधिक लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान शामिल है जिन्हें पहले यह राशि नहीं दी गई थी और पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट के सांविधिक लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान भी शामिल है.

अनुसूची 15 आ - संवर्धन गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	सहकारिता विकास निधि	30.53	18.71
2	उत्पादक संगठन विकास निधि	5.11	4.03
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	6.23	20.00
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	22.17	17.67
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	1.75	0.97
6	ग्राम्य विकास निधि	46.09	27.67
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	-	6.00
	कुल	**111.88**	**95.05**

अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	108.00	698.00
2	अनर्जक आस्तियाँ	346.20	801.26
3	अस्थायी प्रावधान	750.00	750.00
4	निवेश खाता-इक्विटी के मूल्य में ह्रास	10.64	-
	कुल	**1,214.84**	**2,249.26**

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022 को*	*31.03.2021 को*
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	14.00	1.08
	उप जोड़ "अ"	**14.00**	**1.08**
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक गारंटी	24.18	24.18
(ii)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	-	-
(iii)	लंबित विधिक मामले	9.48	9.00
	उप जोड़ "आ"	**33.66**	**33.18**
	कुल (अ + आ)	**47.66**	**34.26**

अनुसूची 18

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्णलेखा नीतियां और लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियां

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्त्वपूर्ण पहलुओं; भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों (एएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों से सुसंगत हैं.

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के क्रम में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रेपोर्टिंग अवधि के लिए परिचालनों के परिणामों को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. ये भिन्नताएं ऐसे निष्कर्षों के परिणाम के वर्ष में सामने आती हैं.

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध, निम्नलिखित मदों को छोड़ कर आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

i) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंड ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) प्रत्येक लेखा इकाई द्वारा किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹10,000 से अनधिक व्यय.

3.2 निर्गमित बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बट्टा राशि को बाण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

3.4 i) उद्यम पूंजी निधि से आय को वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया.

ii) जिन सब्सिडी वाले मामलों में नाबार्ड पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य करता है उन पर सारविके प्रभारों सहित सब्सिडी के निर्गम की गणना भुगतान आधार पर की जाती है जो संबंधित योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के अधीन है.

3.5 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंड ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

3.6 समझौता और समाधान / निपटान के मामले में, संबन्धित समझौते / समाधान, निपटान की शर्तों के अनुसार वसूली का विनियोजन किया जाएगा.

3.7 दायर मामले / डिक्री किए गए खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी :-

i) संबन्धित न्यायालय के निदेशों के अनुसार.

ii) न्यायालय के स्पष्ट निदेशों के न होने की स्थिति में, उपर्युक्त बिन्दु 3.5 में किए गए उल्लेख के अनुसार.

4. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (स्थायी आस्तियां)

4.1 अचल आस्तियों का मूल्य, अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब विद्यमान आस्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ उनके पूर्व में आकलित निष्पादन के स्तर से अधिक हो.

4.2 भूमि में स्वामित्व वाली और पट्टे वाली भूमि शामिल है.

4.3 जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है, वहाँ परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है.

4.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति का संशोधन किया गया था और इसकी गणना 30 वर्ष जीवन अवधि मानकर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है.

4.5 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से ह्रासित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया.

4.6 ₹1 लाख और इससे कम मूल्य की अचल आस्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि

को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है. कीमती, परंतु आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन जिनकी प्रत्येक की कीमत यदि ₹10,000 से अधिक है; उन्हें पूंजीकृत किया गया है. सभी सॉफ्टवेयर जिनका मूल्य ₹1 लाख और उससे कम है और जिन्हें अलग से खरीदा गया है, उन्हें लाभ और हानि लेखा में लिया गया है.

4.7 अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रबंधन द्वारा आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है:

आस्तियों के प्रकार	*मूल्यह्रास की दर*
फर्नीचर और फिक्सचर	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

4.8 खरीदने के वर्ष में आस्ति पूंजीकृत होने के महीने से और आस्ति के बिक्री करने के वर्ष के महीने तक मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है.

4.9 चल रहे पूंजीगत कार्यों में पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं और इसे अचल आस्तियों में प्रकट किया गया है.

5. निवेश

5.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

5.2 भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचएमटी)" श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणियां" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.

5.3 जो प्रतिभूतियां मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

5.4 जहाँ लागत अंकित मूल्य के समान या कम है वहाँ परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है वहाँ यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

5.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

5.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार समायोजित किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

5.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार समायोजित किया गया है. मूल्यह्रास/ मूल्यवृद्धि को "एचएफटी" श्रेणी के निवेशों में मान्य किया गया है. अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन किया गया है.

5.8 5.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

5.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन धारण लागत पर किया गया है.

5.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ब्रेक अप मूल्य अथवा ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

5.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

5.12 स्टॉक एक्स्चेंज में खरीदे/ बेचे गए शेयरों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज की राशि को पूंजीकृत किया गया है.

5.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किये गये/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और उसे लागत/ बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है.

5.14 विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाज़ार मूल्य में से जो भी कम हो, पर हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.

5.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

5.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

5.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश को संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है.

5.18 निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आय के उचित प्रावधान/अमान्यता के अधीन हैं. अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी कंपनी/ संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए है, तो उस कंपनी/ संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीए माना जाएगा.

प्रतिभूतियों अर्थात बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी, इनमें से जो भी अधिक हो, मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया गया है.

5.19 रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. तथापि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेन की तरह ही में अंतरित किया जाता

है और प्रतिभूतियों के ऐसे अंतरण को रेपो / रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों में परिलक्षित किया जाता है. उपर्युक्त प्रविष्टियां परिपक्वता की तारीख को रिवर्स कर दी जाती हैं. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

5.20 डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं.

हेज स्वेप (बचाव के लिए अदला-बदली)

बचाव ब्याज (हेज इंट्रेसट) युक्त आस्ति अथवा देयता के साथ ब्याज दर की अदला-बदली (स्वैप) को उपचय आधार पर लेखांकित किया गया, उन अदला बदलियों को छोड़कर जिन्हें वित्तीय विवरण में कम लागत पर अथवा बाज़ार मूल्य पर धारित किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामित किया गया हो. अदला-बदलियों की समाप्ति पर अधिलाभ अथवा घाटे को अदला-बदली की शेष संविदागत आयु की निम्न अवधि के लिए मान्य किया गया अथवा आस्ति / देयताओं के की शेष आयु के लिए मान्य किया गया.

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

6.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

6.2 अग्रिमों की पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के समय, मूल करार के अनुसार भविष्य के मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भविष्य के मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

6.3 अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है.

6.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधानों को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

6.5 एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन पत्र की अनुसूची 8 में "चालू देयताएं और प्रावधान" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है.

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया गया है:

7.1 विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुन:मूल्यांकन किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को संविदागत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है और वर्ष की समाप्ति पर हेज किए गए उधार की देयता को तुलनपत्र में कोंट्रा मद (तुलन पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है.

7.2 आय और व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया गया है.

8. विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए लेखांकन

8.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की जाती हैं.

8.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

8.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का वर्ष के अंत में एफईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुन:मूल्यांकन किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे को लाभ और हानि लेखा में वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है. प्रीमियम/ डिस्काउंट को संविदा की पूरी अवधि के लिए हिसाब में लिया गया है.

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी माने जाते हैं और तदनुरूप कर्मचारी लाभ के प्रावधान किये जाते हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को कर्मचारियों के दीर्घकालीन लाभ के लिए यथाआवश्यक बीमांकिकीय मूल्यांकन किया गया है.

9.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

9.2 सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

i) नियत अंशदान योजना

उन सभी पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 31 दिसम्बर 2011 को या इससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, बैंक में भविष्य निधि योजना है. इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है. अंशदान को उपचय के आधार पर मान्य किया गया है.

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं. बैंक ने एक नियत अंशदान योजना ₹. एनपीएस - कार्पोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो कि पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) नियत लाभ योजना

क. सभी पात्र कर्मचारियों के मामले में अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया गया है. योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है. बीमांकिकीय लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया गया है.

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है. बीमांकिकीय लाभ अथवा हानि को उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी क्षतिपूर्तियुक्त अनुपस्थितियों के लिए अधिकृत हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. बीमांकिकीय अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया गया है.

10. आय पर कर

10.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं और निर्धारणों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

10.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर यानी वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है.

10.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

10.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर भुगतान/ प्रावधान किए गए करों की गणना लेखों में संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

11. खंड रिपोर्टिंग

11.1 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 की अनुपालना में अपने प्रमुख रिपोर्टिंग खंड के रूप में व्यवसाय खंड को मान्यता दी है.

11.2 खंड राजस्व में इस खंड के साथ प्रत्यक्ष रूप से पहचाने जाने वाला / विनिधानीय योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल है. आय, जो समग्र रूप में बैंक से संबंधित है और जिसे खंडों के रूप में आबंटित नहीं किया गया उसे "अन्य अविनिधानीय बैंक आय" के तहत शामिल किया गया.

11.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन-योग्य हैं उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उनको "अन्य अविनिधानीय व्यय" में शामिल किया गया है.

11.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं. अविनिधानीय आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को अविनिधानीय आस्तियां और देयताएं शामिल हैं.

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

12.1 तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को जिन आस्तियों में क्षतिग्रस्तता का संकेत मिलता है उन आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि:

i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो, उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा

ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का रिवर्सल

12.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है.

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना है; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया है:

क. पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बर्हिगमन की आवश्यकता पड़ेगी,

ख. कोई वर्तमान दायित्व, जब वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग. पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना न के बराबर हो.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

13.4 प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं और की तुलन-पत्र की प्रत्येक तिथि पर समीक्षा की जाती है.

14. नकदी और नकदी समतुल्य

क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, बैंक के पास मांग जमाराशियां तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

ख) अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से प्राप्त नकदी के प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

15. पूर्व अवधि की आय/ व्यय मदें

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदें केवल उस समय अलग से प्रकट की जाती हैं जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय, सकल आय के 0.5% से ज्यादा हो.

16. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखा मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि और आगे के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है जिन्हें 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक होना है. भारतीय रिज़र्व द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली संसूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

17. कोविड-19 का प्रभाव

17.1 पूरे विश्व में और भारत में कोविड -19 के प्रकोप के कारण देश में लगे आंशिक लॉकडाउन और सीमित आवाजाही के परिणामस्वरूप देश की आर्थिक गतिविधि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है. इससे कई कारोबारों विशेषकर बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में तो अवरोध उत्पन्न हुआ है और साथ-ही-साथ कृषि क्षेत्र में भी गंभीर चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं. कृषि क्षेत्र में ये चुनौतियाँ देश में रबी मौसम के चरम पर पहुँचने और फसल कटाई अथवा उनकी परिपक्वता अवधि के दौरान अधिक बढ़ गई थीं. यही वह समय होता है जब नामित सरकारी एजेंसियों द्वारा निश्चित अधिप्राप्ति परिचालन के लिए खेती की उपज मंडियों (मार्केट यार्ड) तक पहुँचती है.

17.2 बैंक के प्रबंधन तंत्र ने अपनी आंतरिक और बाह्य निविष्टियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया है, जो उसके बाद आने वाली अवधियों की प्रगतियों के आकलन पर आधारित है.

17.3 17.3 वर्तमान में उपलब्ध सूचना के आधार पर बैंक के प्रबंधन तंत्र का यह अभिमत है कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों और आस्तियों की क्षतिग्रस्तता पर कोविड-19 का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. पूंजी

1.1 **तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार पूंजी अंशदान का स्वरूप :**

31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 की स्थिति में नाबार्ड की चुकता पूंजी ₹30000 करोड़ थी. बैंक की कुल चुकता पूंजी भारत सरकार द्वारा अभिदत्त की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है:

अंशदानकर्ता	*31 मार्च 2022*		*31 मार्च 2021*	
	(₹ करोड़)	*%*	*(₹ करोड़)*	*%*
भारत सरकार	17,080.00	100.00	15,080.00	100.00
कुल	**17,080.00**	**100.00**	**15,080.00**	**100.00**

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने नाबार्ड की पूंजी में ₹2000 करोड़ की राशि अंतर्वेशित की है.

1.2 **पूंजी पर्याप्तता**

1.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9% की तुलना में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.07% (18.80%) था.

1.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण-दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित ₹14499 (₹14497) करोड़ की आस्तियों को सीआरएआर की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा गया है.

1.2.3 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के विभिन्न मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(i)	सामान्य इक्विटी	56931.16	51547.69
(ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00	0.00
(iii)	कुल टीयर 1 पूंजी (i+ii)	56931.16	51547.69
(iv)	टीयर 2 पूंजी	4497.51	5344.24
(v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	61428.67	56891.93
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	382186.32	302607.64
(vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	14.90	17.03
(viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	14.90	17.03
(ix)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	16.07	18.80
(x)	एआईएफ़आई में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00	100.00
(xi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि #	2000.00	1000.00
(xii)	उगाही गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि: जिसमें से	0.00	0.00
	(क) स्थायी असंचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(ख) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	0.00	0.00
(xiii)	उगाही गई अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी की राशि: जिसमें से	0.00	0.00
	(क) ऋण पूंजी लिखत:	0.00	0.00
	(ख) स्थायी संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस)	0.00	0.00
	(ग) मोचन-योग्य असंचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(घ) मोचन-योग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	0.00	0.00

वर्ष के दौरान शेयर पूंजी के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि ₹2,000 करोड़ है.

2. निर्बंध प्रारक्षित निधियां और प्रावधान

2.1 **मानक आस्तियों के लिए प्रावधान**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	108.00	698.00

2.2 **प्रतिचक्रीय सुरक्षित प्रावधान*:**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में अथशेष	1264.44	514.44
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की प्रमात्रा#	750.00	750.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय वर्ष के अंत में अस्थिर प्रावधान का इतिशेष	2014.44	1264.44

** यह ऐसे अग्रिमों के लिए अस्थायी प्रावधानों को दर्शाता है जिनका उपयोग टियर II पूंजी के रूप में नहीं किया गया है।*

 # बैंक के निदेशक मंडल ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अस्थिर प्रावधान करने का निर्णय लिया है ताकि किसी असाधारण अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सके.

3. आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.1 **अनर्जक अग्रिम**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
(i)	**निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)**	0.00	0.00
(ii)	**अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव**		
(क)	अथशेष	1240.88	1236.99
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	871.08	4.01
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(2.37)	(0.12)
(घ)	इतिशेष	2109.59	1240.88
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव**		
(क)	अथशेष	0.00	719.88
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	719.88
(घ)	इतिशेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	अथशेष	1240.88	517.11
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	871.08*	723.89
(ग)	अपलिखित/ प्रतिलिखित अधिक प्रावधान	(2.37)	(0.12)
(घ)	इतिशेष	2109.59	1240.88

* अनुसूची -18 की टिप्पणी सं-23 देखें

3.2 **अनर्जक निवेश**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*Particulars*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
(i)	**निवल निवेश में निवल अनर्जक निवेश (%)**	0.00	0.00
(ii)	**निवल अनर्जक निवेश (सकल) में उतार-चढ़ाव**		
(क)	अथशेष	650.34	650.34
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(317.45)	0.00
(घ)	इतिशेष	332.89	650.34
(iii)	**निवल अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव**		
(क)	अथशेष	0.00	85.48
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	85.48
(घ)	इतिशेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोडकर)**		
(क)	अथशेष	650.34	564.86
(ख)	वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00	85.48
(ग)	अपलिखित/ प्रतिलिखित अधिक प्रावधान	(317.45)	0.00
(घ)	इतिशेष	332.89	650.34

3.3 **अनर्जक आस्तियां (3.1+3.2)**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
(i)	**निवल आस्तियों में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)**	0.00	0.00
(ii)	**अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)**		
(क)	अथशेष	1891.22	1887.33
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	871.08	4.01
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(319.82)	(0.12)
(घ)	इतिशेष	2442.48	1891.22
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव**		
(क)	अथशेष	0.00	805.36
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	805.36
(घ)	इतिशेष	0.00	0.00
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	अथशेष	1891.22	1081.97
(ख)	वर्ष के दौरान प्रावधान	871.08	809.37
(ग)	अपलिखित/ प्रतिलिखित अधिक प्रावधान	(319.82)	(0.12)
(घ)	इतिशेष	2442.48	1891.22

3.4 **पुन:संरचित खातों का विवरण**

चालू वित्तीय वर्ष में सात ऋण खातों को पुन:संरचित किया गया.

	पुन:संरचना का प्रकार आस्ति वर्गीकरण विवरण		*सीडीआर प्रणाली में*					*एसएमई ऋण पुन:संर*		
			मानक	*अव-मानक*	*संदिग्ध*	*हानि*	*कुल*	*मानक*	*अव-मानक*	*संदिग्ध*
1	01 अप्रैल 2021 को पुन:संरचित खातों की स्थिति	उधार कर्ताओं की सं.						0		
		बकाया राशि						0.00		
		प्रावधान*						0.00		
2	वर्ष के दौरान नई पुन:संरचना / अग्रिम	उधार कर्ताओं की सं.						0		
		बकाया राशि						0.00		
		प्रावधान*						0.00		
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधार कर्ताओं की सं.						0		
		बकाया राशि						0.00		
		प्रावधान*						0.00		
4	पुन:संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार आवश्यक नहीं रहा और इसलिए जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुन:संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं रहा	उधार कर्ताओं की सं.						0		
		बकाया राशि						0.00		
		प्रावधान*						0.00		
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अवनयन	उधार कर्ताओं की सं.						0		
		बकाया राशि						0.00		
		प्रावधान*						0.00		
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अपलेखन	उधार कर्ताओं की सं.						0		
		बकाया राशि						0.00		
		प्रावधान*						0.00		
7	31 मार्च 2022 की स्थिति में पुन:संरचित खाते	उधार कर्ताओं की सं.						0		
		बकाया राशि						0.00		
		प्रावधान*						0.00		

* प्रावधान में सामान्य मानक आस्ति प्रावधान और पुनः संरचना के कारण अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं.

(राशि ₹ करोड़ में)

चना प्रणाली में		अन्य					कुल				
हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
		2	0	3	0	5	2	0	3	0	5
		80.08	0.00	14.6	0.00	94.68	80.08	0.00	14.6	0.00	94.68
		8.01	0.00	14.6	0.00	22.61	8.01	0.00	14.6	0.00	22.61
		7	1	0	0	8	7	1	0	0	8
		120.87	51.79	0.00	0.00	172.66	120.87	51.79	0.00	0.00	172.66
		6.29	51.79	0.00	0.00	58.09	6.29	51.79	0.00	0.00	58.09
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		53.69	0.00	0.00	0.00	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	53.69
		5.37	0.00	0.00	0.00	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	5.37
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8	1	3	0	12	8	1	3	0	12
		147.26	51.79	14.6	0.00	213.65	147.26	51.79	14.6	0.00	213.65
		8.93	51.79	14.6	0.00	75.33	8.93	51.79	14.6	0.00	75.33

3.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय पुन:संरचना से संबंधित योजना के लिए ऋण (एस4ए)

वर्ष 2016-17 के दौरान, दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय पुन:संरचना से संबंधित योजना के अंतर्गत ₹46.91 करोड़ के एक दबावग्रस्त ऋण खाते के समाधान पर विचार किया गया. समाधान योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	*2021-22*
भाग– अ	
(i) बकाया ऋण	13.70
भाग– आ	
(i) इक्विटी शेयर	8.06
(ii) वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर	14.22
कुल	**35.98**

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते में निवल बकाया राशि ₹13.70 थी. यह खाता अभी भी एनपीए में है और एस4ए दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया राशि पर 100% का प्रावधान किया गया है. एस4ए व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त और डेब्ट सर्विसिंग रिजर्व खाते में रखी गई राशि का पूरा उपयोग किया गया है.

3.6 अनर्जक अग्रिमों में उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं..	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(i)	01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां	1240.88	1236.99
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि (नया एनपीए)	871.08	4.01
	उप-जोड़ (अ)	**2111.96**	**1241.00**
घटाएं:			
(i)	उन्नयन	0.00	0.00
(ii)	वसूली (उन्नयन किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	2.37	0.12
(iii)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
(iv)	उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन	0.00	0.00
	उप-जोड़ (आ)	**2.37**	**0.12**
31 मार्च की स्थिति में सकल अनर्जक आस्तियां (अ-आ)		**2109.59**	**1240.88**

3.7 अपलेखन और वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
01 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का अथशेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
उप-जोड़ (अ)	0.00	0.00
घटाएं: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से हुई वसूली (आ)	0.00	0.00
31 मार्च को इतिशेष (अ-आ)	0.00	0.00

टिप्पणी: तकनीकी या विवेकपूर्ण अपलेखन की राशि अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है लेकिन जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर अपलिखित (पूर्णतः या अंशतः) कर दिया गया है.

3.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
कुल आस्तियां	0.00	0.00
कुल अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

3.9 मूल्यह्रास और निवेशों के लिए प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(1)	**निवेश**		
(i)	सकल निवेश *		
	क. भारत में	65833.24	44795.43
	ख. भारत के बाहर	0.00	0.00
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान *		
	(क) भारत में	332.89	650.34
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii)	निवल निवेश *		
	(क) भारत में	65500.35	44145.09
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(2)	**निवेशों के मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**		
(i)	अथशेष	650.34	564.86
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	85.48
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई हो	0.00	0.00

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(iv)	घटाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित/ प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	(317.45)	0.00
(v)	घटाएं: निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से अंतरण, यदि कोई हो	0.00	0.00
(vi)	इतिशेष	332.89	650.34

* इन आंकड़ों में रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में किया गया निवेश शामिल नहीं है

4. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यापार के लिए गिरवी खंड (प्रतिभूतियां)	765.00 (760.00)	814.93 (798.77)
व्यापार के लिए गिरवी खंड (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	25918.05 (23111.05)	27460.48 (24895.54)
व्यापार के लिए गिरवी खंड (प्रतिभूतियां) डिफाल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (52.21)
व्यापार के लिए गिरवी खंड (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफाल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (52.21)

5. **प्रावधान और आकस्मिकताएं**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लाभ और हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान और आकस्मिकताएं	2021-22	2020-21
1	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	10.64	85.48
2	अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान (अग्रिम + निवेश)	346.20	801.26
3	आयकर के लिए प्रावधान	1628.00	1761.45

6. **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)**

चालू वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक पीसीआर [प्रावधानों (इसमें अनुसूची-18 के नोट सं. 2.2 के अनुसार प्रतिचक्रीय बफर शामिल है) में सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात] 182.48% (166.86%) रहा.

7. **निवेश पोर्टफोलियो: संघटन और परिचालन**

7.1 **रेपो लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	242.36 (220.22)	9036.94 (5119.43)	620.07 (601.55)	0.00 (0.00)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (56.23)	0.00 (259.43)	0.00 (0.86)	0.00 (0.00)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

7.2 **ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संघटन का प्रकटन***

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*जारीकर्ता*	*राशि*	*निजी प्लेसमेंट की सीमा*	*'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियां*	*रेट न की गई प्रतिभूतियां*	*'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियां*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	434.85 (552.31)	434.85 (552.31)	–	-	0.00 (0.00)
(ii)	सरकार	41067.40 (38435.11)	41067.40 (38435.11)			0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	0.00 (0.00)
(iii)	बैंक	0.00 (243.44)	0.00 (243.44)	–	–	0.00 (0.00)
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	990.49 (1540.43)	990.49 (1540.43)	–	–	0.00 (0.00)
(v)	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त वेंचर	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	0.00 (0.00)
(vi)	अन्य	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vii)	मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	332.89 (650.34)	332.89 (650.34)	–	–	–
	कुल	**42,159.85 (40,120.95)**	**42,159.85 (40,120.95)**	**0.00 (0.00)**	**0.00 (0.00)**	**0.00 (0.00)**

* ऋण प्रतिभूतियों में खजाना बिल, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र सहित सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं जिन्हें बही मूल्य पर दर्शाया जाए.

7.3 **एचटीएम श्रेणी से/ में बिक्री और अंतरण**

वर्ष के दौरान ₹1152.11 करोड़ बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹1135.22 करोड़) की एसडीएल प्रतिभूति राशि को एचटीएम से एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया गया और ₹3186.68 करोड़ बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹3040.00 करोड़) की केन्द्र सरकार की प्रतिभूति राशि को एचटीएम से एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया गया. वर्ष के दौरान ₹2831.33 करोड़ बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹2676.17 करोड़) की एसडीएल प्रतिभूति राशि को एएफ़एस से एचटीएम श्रेणी में अंतरित किया गया.

31 मार्च 2022 को रु. 9432.28 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष हेल्ड टू मैच्युरिटी (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत नाबार्ड के पास उपलब्ध कुल निवेश का बाज़ार मूल्य ₹9671.40 करोड़ था.

7.4 उद्यम पूंजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण मार्गनिर्देशों से संबंधित दिनांक 01 जुलाई, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2015-16/104 डीबीआर.सं. एफ़आईडी एफ़आईसी.3/ 01.02.00/ 2015-16 के अनुसार, उद्यम पूंजी निधि इकाइयों में लगाई गई ₹21.55 करोड़ (₹19.45 करोड़) की राशि को एचटीएम श्रेणी से 3 वर्ष पूर्ण होने पर एएफ़एस श्रेणी में अंतरित कर दिया गया जबकि एचटीएम श्रेणी के तहत रु. 53.71 लाख के निवेश को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी एएफएस श्रेणी में अंतरित नहीं किया गया.

8. **खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

8.1 **आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा.**

अ. बिक्री ब्यौरा : शून्य

आ. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का ब्यौरा : शून्य

8.2 **खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा : शून्य

आ. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा : शून्य

9. परिचालनगत परिणाम

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	5.51	6.06
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.02	0.02
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.19	1.46
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.76	0.76
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	1.60	1.27

10. **ऋण संकेंद्रण जोखिम**

10.1 **पूंजी बाजार एक्सपोजर**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है; $$	1663.94	1590.38
2	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा व्यक्तियों को क्लीन बेसिस पर शेयर में निवेश के लिए (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाइयों के समक्ष अग्रिम;	0.00	0.00
3	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.00	0.00
4	किसी अन्य उद्देश्य के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाई द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: कवर नहीं करती.	0.00	0.00
5	स्टॉकब्रोकरों को प्रतिभूतियुक्त और बिना प्रतिभूति के अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केटमेकरों की ओर से जारी गारंटियां;	0.00	0.00
6	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर की प्रतिभूति अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से नई कंपनियों के संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों क्लीन बेसिस पर को स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज लोन;	0.00	0.00
8	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाईयों को प्राथमिक निर्गमों के संदर्भ में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
9	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण;	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों को लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों)	398.34	284.03
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**2062.28**	**1874.41**

$$ इक्विटी शेयर, सहायक संथाएँ और अन्य रणनीतिक निवेश

10.2 **देश जोखिम में एक्सपोजर** : शून्य

11. **विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं – एआईएफ़आई द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक एक्सपोजर**

11.1 वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं से अधिक एक्सपोजर की संख्या और राशि: शून्य

11.2 पूंजी निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*श्रेणी*	*2021-22*		*2020-21*	
		% के रूप में ऋण एक्सपोजर		*% के रूप में ऋण एक्सपोजर*	
		पूंजीगत निधियाँ	*कुल आस्तियां*	*पूंजीगत निधियाँ*	*कुल आस्तियां*
I	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	79.47	6.44	85.81	7.42
II	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	
III	वर्ष के बीस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	579.78	47.02	552.81	47.81
IV	वर्ष के बीस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	

11.3 पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर : लागू नहीं

11.4 ऐसा कोई अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार लिया गया हो और इसलिए ऐसे अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य के विवरण लागू नहीं होते हैं.

11.5 फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर: लागू नहीं

11.6 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार किया है : शून्य

12. **उधारों/ऋण सीमाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**

12.1 **उधारों और ऋण सीमाओं का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(i)	बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	456243.27	363557.52
(ii)	कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारदाताओं के उधार का प्रतिशत	70.46	65.02

12.2 **ऋण एक्सपोजर का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर	356151.16	314501.61
(ii)	एआईएफ़आई के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का प्रतिशत	52.19	52.05

12.3 **एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का सेक्टर-वार संकेन्द्रण**

सेक्टर-वार अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2021-22*			*वित्तीय वर्ष 2020-21*		
		कुल बकाया अग्रिम	*सकल अनर्जक आस्तियां*	*सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %*	*कुल बकाया अग्रिम*	*सकल अनर्जक आस्तियां*	*सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %*
I.	**कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित कृषि क्षेत्र**	**682368.05**	**2095.80**	**0.31**	**604227.16**	**1227.06**	**0.20**
1	केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.11	0.00	0.00	16.91	0.00	0.00
3	राज्य सरकारें	182047.30	0.00	0.00	168660.47	0.00	0.00
4	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	28207.36	0.00	0.00	19960.33	0.00	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	146447.20	0.00	0.00	114189.82	0.00	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	67053.46	0.00	0.00	61587.56	0.00	0.00
7	सहकारी बैंक	123012.35	0.00	0.00	104629.33	0.00	0.00
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	104010.55	169.04	0.16	106241.96	119.56	0.11
9	अन्य रासकृग्रावि बैंक/ भूवि बैंक/ एनबीएफसी-एमएफआई/ एडीएफसी	31589.73	1926.76	6.10	28940.78	1107.50	3.83
II.	**अन्य**	**221.74**	**13.79**	**6.22**	**219.28**	**13.82**	**6.30**
1	निर्माण क्षेत्र	13.70	13.70	100.00	13.68	13.68	100.00
2	स्टाफ ऋण	208.04	0.09	0.04	205.60	0.14	0.07
	कुल (I+II)	**682589.79**	**2109.59**	**0.31**	**604446.44**	**1240.88**	**0.21**

** इनमें आरआईडीएफ़, डबल्यूआईएफ़, नीडा आदि जैसे प्रमुख ऋण शामिल हैं.*

 # अनुसूची 10 में "अन्य अग्रिम" के अंतर्गत समूहन किया गया.

12.4 **अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: लागू नहीं**

13. **व्युत्पन्न** (डेरिवेटिव)

13.1 **वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप** – शून्य

13.2 **एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न** – शून्य

13.3 **व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन :**

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) बैंक विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करता है. बैंक द्वारा किए गए सभी डेरिवेटिव विदेशी मुद्रा उधार के रूप में अंतर्निहित हेजिंग उद्देश्यों के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं, बल्कि केवल ट्रांसलेटेड हैं. बैंक डेरिवेटिव में ट्रेडिंग नहीं करता है.

ii) हेजिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही डेरिवेटिव संरचना तैयार की जाती है. डेरिवेटिव विवरणों का ब्यौरा भी एल्को को सूचित किया जाता है.

iii) बैंक ने डेरिवेटिव सौदों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए प्रणाली स्थापित की है. डेरिवेटिव सौदों से उत्पन्न होने वाले लेनदेन के लेखांकन के लिए बैंक प्रोद्भवन पद्धति का अनुसरण करता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

i) बैंक व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) का व्यापार नहीं करता है. तथापि, इसने 58.17 मिलियन यूरो (62.59 मिलियन यूरो) और 41.62 मिलियन यूएस डॉलर (46.63 मिलियनयूएस डॉलर) के अपने अंतरराष्ट्रीय उधारों की ऋण राशि के लिए हेजिंग की है. विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप उसे स्वैप करार/ वायदा संविदा के अनुसार संविदा कृत मूल्य पर दर्शाया गया है. 31 मार्च 2022 की स्थिति में बैंक का खुला एक्सपोजर 12.30 मिलियन (16.31 मिलियन) यूरो है.

ii) वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूलधन राशि ₹819.42 करोड़ (₹880.20 करोड़) रही और लेखा बहियों में मूलधन बकाया देयता का मूल्य ₹918.44 करोड़ (₹959.98 करोड़) था. इस संबंध में राशि के रूप में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
	व्युत्पन्न (नोशनल प्रिंसिपल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	819.42		880.20	
	ख) ट्रेडिंग के लिए	--		--	
(ii)	मार्केड टु मार्केट पोजीशन				
	क) आस्ति (+)	1.30		20.39	
	ख) देयता (–)				
(iii)	ऋण एक्सपोजर [2]	18.08		30.84	
(iv)	ब्याज दरों में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	12.80		14.02	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--		--	
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
	क) हेजिंग पर	--		--	
	ख) ट्रेडिंग पर	--		--	

14. एआईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफ़र्ट (एलओसी) का प्रकटन: शून्य

15. आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आल्को नीति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता पद्धति तैयार की गई है जो निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरणियां	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	0	7924	0	19950	67530	78547	54919	23256	252127
अग्रिम	8594	8334	50758	66275	133888	184451	86224	141318	679842
निवेश	24667	18740	13288	752	640	424	550	10906	69968
उधार	22108	9810	42901	31647	42495	102214	17070	125087	393332
विदेशी मुद्रा आस्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी मुद्रा देयता	0	0	0	37	62	203	100	516	918

16. आरक्षित निधियों से आहरण : शून्य

17. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2021-22	2020-21
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	8.93	8.46
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.76	0.76
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	1.60	1.27

18.. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन : शून्य

19. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहक की शिकायत

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2020-21
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	5	9
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	252	229
ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	241	233
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	16	5

20. तुलनपत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है

नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं है

21. विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

21.1 **लेखा मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन:**

लाभ और हानि लेखा में पिछली अवधि की निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2021-22*	*2020-21*
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**0.00**

21.2 **लेखा मानक 15- 'कर्मचारी लाभ' के अंतर्गत लेखा मानक 15 (संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन**

21.2.1 **परिभाषित लाभ योजनाएं**

बैंक की कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में उन कर्मचारियों के लिए पेंशन शामिल है जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ परिभाषित लाभ योजनाएं हैं.. इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा प्रणाली का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमा आकलनकर्ता द्वारा किए गए बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है.

प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक अनुमान	*पेंशन*		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	31.03.2022	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
छूट की दर	7.20%	6.75%	7.20%	6.75%	7.20%	6.75%
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7.20%	6.75%	7.20%	7.10%	7.20%	7.10%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएं*	
	31.03.2022	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6543.10	5749.70	454.92	501.34	347.18	357.68
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	90.26	69.47	21.01	20.42	12.58	11.44
जोड़ें: ब्याज लागत	441.66	388.10	30.71	33.84	23.43	24.14
बीमांकिक लाभ/(हानि)	1130.24	604.22	7.88	(1.80)	5.34	1.05
घटाएँ : भुगतान किए गए लाभ	(312.73)	(268.41)	(78.90)	(98.89)	(44.48)	(47.14)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7892.53	6543.10	435.62	454.92	344.05	347.18

योजनागत आस्तियों के एफवी में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	31.03.2022	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	6546.03	5609.19	458.89	490.13	226.91	238.81
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.86	554.19	30.98	34.80	15.32	16.96
जोड़ें: बैंक द्वारा योगदान	399.20	772.85	7.32	31.22	0.00	0.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	509.16	(121.79)	4.83	1.63	0.56	18.28
घटाएं: भुगतान किए गए लाभ	(286.39)	(268.41)	(78.91)	(98.89)	(44.48)	(47.14)
घटाएं: नियोक्ता द्वारा देय प्रतिपूर्ति	(26.35)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	7583.51	6546.03	423.11	458.89	198.31	226.91

योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	31.03.2022	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	441.86	554.19	30.98	34.80	15.32	16.95
बीमांकिक लाभ/(हानि)	509.17	(121.79)	4.83	1.63	0.56	18.28
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	951.03	432.40	35.81	36.43	15.88	35.23

मान्यताप्राप्त शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	31.03.2022	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - दायित्व	(1130.24)	(604.22)	(7.88)	1.80	(5.34)	(1.05)
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)- योजनागत आस्तियाँ	509.17	(121.79)	4.83	1.63	0.56	18.28
अवधि के लिए कुल लाभ / (हानि)	(621.07)	(726.01)	(3.05)	3.43	(4.78)	17.23
उक्त अवधि में मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(621.07)	(726.01)	(3.05)	3.43	(4.78)	17.23
वर्ष के अंत में गैर मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तुलनपत्र में मान्य राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	31.03.2022	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	7892.52	6564.56	435.62	458.46	344.05	365.62
घटाएं: वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	(7583.51)	(6546.03)	(423.11)	(458.89)	198.30	226.91
गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत- निहित लाभ- आगे ले जाए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में मान्य की जाने वाली देयता	309.01	18.53	12.51	(0.43)	145.75	138.71
तुलन पत्र में मान्य देयता	331.04	39.27	21.68	5.21	138.12	148.09

** चूंकि छुट्टी के लाभों के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं है, इसलिए बैंक द्वारा किए गए निवेश के लिए योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की कटौती नहीं की जाती है.*

लाभ और हानि लेखे में मान्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		*ग्रेच्युटी*		*अवकाश सुविधाएँ*	
	31.03.2022	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*	*31.03.2022*	*31.03.2021*
चालू सर्विस लागत	90.26	69.47	21.01	20.42	12.58	11.44
जोड़ें: ब्याज लागत	441.66	388.11	30.71	33.84	23.43	24.14
घटाएँ: योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(441.85)	(554.18)	(30.97)	(34.80)	(15.31)	(16.96)
जोड़ें: वर्ष में मान्य निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	621.07	726.01	3.05	(3.43)	4.78	(17.23)
घटाएँ: वर्ष के प्रारम्भ मे अतिरिक्त प्रावधान	(42.20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि विवरण में मान्य व्यय	668.94	629.41	23.80	16.03	25.48	1.40

21.2.2 **परिभाषित अंशदान योजना:**

क. भारतीय रिजर्व बैंक में रखी गई भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है. परिभाषाओं के अनुसार यह एक परिभाषित अंशदान योजना है. वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को ₹22.46 करोड़ (₹24.91 करोड़) का अंशदान किया है.

ख. 01 जनवरी 2012 को या इसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जो कि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत शामिल किया गया है. वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त योजना में ₹10.15 करोड़ (₹7.50 करोड़) का अंशदान किया है.

21.2.3 **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ**

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य ₹3.02 करोड़ (₹0.00 करोड़) को लाभ हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है.

21.2.3.1 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक संस्थाओं में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित देयताएं शामिल हैं.

21.2.3.2 **सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का परिशोधन**

सेवानिवृत्ति पश्चात् समस्त देयताओं को लाभ हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है और उनका परिशोधन नहीं किया जाता है.

21.2.3.3 **पेंशन, ग्रैच्युटी और छुट्टी नकदीकरण निधि की योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश – 31 मार्च 2022 की स्थिति**

विवरण	*पेंशन*	*ग्रैच्युटी*	*साधारण छुट्टी नकदीकरण*
	योजनागत आस्तियों का %	*योजनागत आस्तियों का %*	*योजनागत आस्तियों का %*
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	7.47	0.00	0.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	40.94	0.00	0.00
इंश्योरर द्वारा प्रबंधित निधियां	0.00	100.00	100.00
अन्य	51.59	0.00	0.00
कुल	100.00	100.00	100.00

21.3 **लेखा मानक 17 - व्यवसाय खंड के बारे में सूचना**

(क) **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है:

i) **प्रत्यक्ष वित्तपोषण:** इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) **पुनर्वित्त:** इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, राकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) **ट्रेजरी:** इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड अन्य व्यावसायिक खंड हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, आबंटन हेतु अयोग्य व्यय / देनदारियों / आस्तियों सहित शेष राशि को "अन्य व्यवसाय" के तहत समूहीकृत किया जाता है.

(ख) **प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*ट्रेजरी*		*पुनर्वित्त*		*प्रत्यक्ष ऋण*		*अन्य व्यवसाय*		*कुल*	
व्यवसाय खंड	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*
राजस्व	3119.69	3372.89	16780.81	15998.01	16823.95	15204.49	36.83	95.78	36761.28	34671.17
परिणाम	2688.57	2552.54	3689.86	3762.33	3334.56	3078.58	-3020.08	-3312.04	6692.91	6081.41
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									6692.91	6081.41
आय पर कर									1611.06	1761.45
असाधारण लाभ/ हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									5081.85	4319.96
अन्य सूचनाएं										
खंड आस्तियां	70331.40	48484.91	370527.55	312809.76	312369.86	292931.07	4243.50	3572.56	757472.31	657798.30
खंड देयताएं	144580.58	99432.66	312546.49	278469.69	221985.26	211150.09	78359.98	68745.86	757472.31	657798.30
अनाबंटित आस्तियाँ									0.00	0.00
कुल आस्तियाँ									**757472.31**	**657798.30**
अनाबंटित देयताएँ									0.00	0.00
कुल देयताएं									**757472.31**	**657798.30**

ख) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

21.4 **लेखा मानक 18- संबंधित पक्षों का प्रकटन**

चूंकि बैंक 'एएस-18' "संबंधित पक्ष लेन-देन" की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों के साथ लेन–देन का विवरण नहीं दिया गया है. संबन्धित पक्षों की सूची:

क) **इस निकाय के नियंत्रण में कंपनियां:**

क्रम सं.	*कंपनियां*	*संबंध*
1.	नैबफिन्स लि.	सहायक संस्था
2.	नैबसमृद्धि फायनान्स लि.	सहायक संस्था
3.	नैबकिसान फायनान्स लि.	सहायक संस्था
4.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
5.	नैबवेंचर्स लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
6.	नैबफाउंडेशन	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
7.	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था

ख) **मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी:**

क्रम सं.	*पार्टी का नाम*	*पदनाम*
1.	डॉ. जी आर चिंतला	अध्यक्ष
2.	श्री शाजी के वी	उप प्रबंध निदेशक
3.	श्री पी वी एस सूर्यकुमार	उप प्रबंध निदेशक

ग) **मुख्य प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ लेन-देन:**

(राशि ₹ करोड़ में)

पक्ष का नाम	*संबंध का प्रकार*	*लेन-देन का प्रकार*	*वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि*		*बकाया*	
			2021-22	*2020-21*	*2021-22*	*2020-21*
डॉ. जी आर चिंतला	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी –अध्यक्ष	परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.67	0.63	0.00	0.00
श्री शाजी के वी	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी – उप प्रबंध निदेशक	परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.51	0.59	0.00	0.00
श्री पी वी एस सूर्यकुमार	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी – उप प्रबंध निदेशक	परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.60	0.56	0.00	0.00

घ) **कंपनियों के साथ लेनदेन जहां इकाई का नियंत्रण है:**

i) नाम और राशि के अनुसार सहायक कंपनियों को ऋण की प्रकृति के अनुसार ऋण और अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*कंपनियाँ*	*31 मार्च 2022 को बकाया राशि*
1.	नैबफिन्स लि.	1326.51
2.	नैबकिसान फायनांस लि.	963.56
3.	नैबसमृद्धि फायनांस लि.	624.88

ii) एसोसिएट्स को नाम और राशि के अनुसार ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम: शून्य

iii) उन फर्मों/कंपनियों के नाम और राशि, जिनमें निदेशकों की रुचि है, वहाँ ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम

संबन्धित पक्षों के मामले में वर्ष के दौरान कोई भी धनराशि अपलिखित / वापस नहीं की गई है और न ही इसके लिए प्रावधान किया गया है. संबन्धित पक्षों के संबंध प्रबंधन द्वारा मान्य हैं और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है.

21.5 **लेखा मानक 28 – आय पर कर हेतु लेखांकन:**

वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों की गणना" के अनुसरण में, लाभ और हानि लेखा में ₹16.94 करोड़ आस्थगित कर दर्शाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आस्थगित कर आस्तियां*	*31-03-2022*	*31-03-2021*
	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	147.26	128.38
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	16.69	18.63
	जोड़	**163.95**	**147.01**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

21.6 **लेखा मानक: "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता":**

बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

22. गैर-परिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं: शून्य

23. वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों में से एक को "रेड फ्लैग" किया गया और उसके तहत रु. 819.26 करोड़ की बकाया राशि पर शत प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जिसमें से 50% प्रावधान लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया गया है और शेष राशि ₹409.63 करोड़ को आरक्षित निधि से आहरित किया गया है और इसे अनुसूची-1 "रिजर्व फंड और अन्य रिजर्व" में दर्शाया गया है.

24. 24 सितंबर, 2021 को ऋण एक्सपोजर के अंतरण पर आरबीआई मास्टर निर्देश के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान अंतरित / अधिग्रहीत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) बैंक ने कोई अनर्जक आस्तियां (एनपीए)/तकनीकी अपलिखित खाते (दो) अंतरित नहीं किए हैं.

ख) बैंक ने कोई दबावग्रस्त ऋण अधिग्रहीत नहीं किया है.

ग) बैंक ने कोई ऋण अंतरित या अधिग्रहीत नहीं किया है जो चूक में नहीं है.

घ) 31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित सुरक्षा रसीदों (एसआर) का वितरण: शून्य

25. आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2020-21/16 डीओआर. सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2021-22/31 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई 2021 के अनुसार कोविड 19 संबंधित दबाव के लिए रेज़लूशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित रेज़लूशन योजना का विवरण: शून्य

26. क्रैडिएन्स्टाल्ट फ़ुर विडेरूफ़बाउ - जर्मन विकास बैंक (केएफ़डब्ल्यू) के साथ हुए करार के अनुसार, यूपीएनआरएम के अंतर्गत हुई अभिवृद्धि/ आय और व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है. इस निधि से दिए गए ऋणों को अन्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसे अनुसूची 11 के तहत प्रकट किया गया है. यूपीएनआरएम से संबंधित उधार को अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से

उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे अनुसूची 7 के तहत प्रकट किया गया है. वर्ष के दौरान, निधि के अंतर्गत ₹21.67 करोड़ (₹5.91 करोड़) की आय, जिसमें ₹0.10 करोड़ की आय पर ₹21.77 करोड़ का कुल व्यय भी शामिल है, को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

27. नाबार्ड भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य करता है और निधियों को संबंधित योजनाओं के अंतर्गत संवितरण/ उपयोग होने तक इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज, जहां भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशि पर प्राप्त ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार/ प्रबंधन/ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	*निधि का नाम*	*2021-22 के लिए ब्याज की दर*	*2020-21 के लिए ब्याज की दर*
1.	वाटरशेड विकास निधि	4%	4%
2.	केएफ़डबल्यू- नाबार्ड आईजीडबल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	4%	4%
3.	केएफ़डबल्यू सहायक उपाय	4%	4%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	4%	4%
5.	आदिवासी विकास निधि	4%	4%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	4%	4%
7.	केएफ़डबल्यू- नाबार्ड -V आदिवासी विकास कार्यक्रम – गुजरात	4%	4%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) – परियोजना निर्माण अनुदान	4%	4%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	4%	4%
10.	पीओडीएफ़ – आईडी	4%	4%
11.	ग्रीन क्लायमेट फंड परियोजना अनुदान	4%	4%
12.	पशुधन विकास निधि (उ प्र और बिहार)	6.12%	7.52%
13.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	6.12%	7.52%
14.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र	6.12%	7.52%

28. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य (तुलन पत्र की अनुसूची-13 देखें) राशि में ₹4.41 करोड़ (₹6.92 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है.
इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*निधि का नाम*	*31-03-2022*	*31-03-2021*
1.	केएफडब्ल्यू – यूपीएनआरएम- सहबद्ध उपाय	0.03	0.07
2.	केएफडब्ल्यू – मृदा परियोजना	4.38	6.70
3.	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम- तकनीकी सहबद्धता	0.00	0.00
4.	पौल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.00	0.15

29. विविध लेनदार में सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफ़डीईएफ़) के संबंध में अंशदाताओं को बकाया ₹30.48 करोड़ (₹30.48 करोड़) की राशि भी शामिल है.

30. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों में रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ़) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) के संबंध में बैंक के पास सापेक्षिक मार्जिन के रूप में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि वॉटरशेड विकास निधि, जनजाति विकास निधि, वित्तीय समावेशन निधि और पीओडीएफ़ में जमा की गई.

31. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*योजना*	*2021-22*	*2020-21*
	दीर्घावधि सिंचाई निधि	506.48	454.71
	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	(1012.70)	(672.18)
	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	20.55	20.25
	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	10.64	15.56
	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	59.29	34.60
	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	6.53	1.64

32. मौसमी कृषि परिचालन के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के वित्तपोषण और एनआरएलएम के लिए रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों और जिमस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त देने पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्य राशि ₹87.95 करोड़ (₹90.10 करोड़) है.

33. वर्ष के दौरान, बैंक ने नवंबर, 2017 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹200 करोड़ की राशि निर्धारित की है. वर्ष के अंत तक प्रदान की गई कुल राशि ₹880 करोड़ है जिसमें सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत किया गया प्रावधान भी शामिल है.

34. विभिन्न प्राधिकारियों के पास लंबित आय कर अपील को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	*कर निर्धारण वर्ष*	*किस प्राधिकारी के पास अपील लंबित है*	*किसके द्वारा अपील की गई*	*विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2021 की स्थिति*	*विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2020 की स्थिति*
1	2002-03	उच्च न्यायालय- मुंबई	आय कर विभाग	415.00	--
2	2006-07	उच्च न्यायालय- मुंबई	आय कर विभाग	115.52	115.52
3	2007-08	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	--	89.56
4	2008-09	उच्च न्यायालय- मुंबई	आय कर विभाग	118.77	--
5	2009-10	उच्च न्यायालय- मुंबई	आय कर विभाग	194.82	--
6	2010-11	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	28.20	28.20
7	2010-11	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	215.31	215.31
8	2011-12	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	51.07	51.07
9	2011-12	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	287.62	287.62
10	2012-13	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	45.63	45.63
11	2012-13	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	327.03	327.03
12	2012-13	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	25.55	25.55
13	2013-14	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	1.70	1.70
14	2013-14	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	380.05	380.05
15	2014-15	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	450.61	450.61
16	2015-16	आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	448.87	448.87
17	2016-17	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
18	2017-18	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
19	2018-19	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	--
20	2019-20	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	277.92	--

35. पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टेकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹14.00 करोड़ (₹14.00 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है. गुंटूर में कार्यालय के लिए प्लॉट के संबंध में, हस्तांतरण विलेख का निष्पादन लंबित है; प्लॉट अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई कुल राशि ₹6.83 करोड़ है. छत्तीसगढ़ में भूखंड के संबंध में, हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया है, लेकिन पंजीकरण लंबित है.

36. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अंशदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है :

36.1 निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है.

36.2 उस पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि लेखा में 'ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

36.3 आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'.

37. वित्तीय विवरणियों की तारीख को चालू आरआईडीएफ खेपों (XX से XXVI) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को किए गए संवितरण में से ₹506.20 करोड़ (₹483.17 करोड़) नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित है. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

38. नकद और नकद समतुल्य के मामले में महत्वपूर्ण लेखा नीति में बदलाव किया गया है जिसके अनुसार तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले अल्पकालिक निवेश को नकद और नकद समकक्षों से बाहर रखा गया है. इसका बैंक के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ा है.

39. 39. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बांड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी. तदनुसार नाबार्ड ने 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की प्रकृति के

हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार और नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋण पर पहले प्रभार के रूप में प्रतिभूत है. चालू वर्ष के लिए इन बांडों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.54 करोड़ (₹365.41 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू,
29, सेनापती बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई- 400028
टेलीफोन: +91 22 6230 0451

40. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.

41. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकडों का पुनः समूहन/ पुनः व्यवस्थापन किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

आलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर. चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पीवीएस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (एकल)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
(क) परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	6,692.92	6,081.41
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
मूल्यह्रास	49.78	46.75
प्रावधान और परिशोधन	0.00	0.00
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	346.20	801.26
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	108.00	698.00
अस्थायी प्रावधान	750.00	750.00
निवेश खाता-इक्विटी के मूल्य में मूल्यह्रास	10.64	0.00
पुनर्निर्धारित ऋण के ब्याज को छोड़ने का प्रावधान	0.00	0.00
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि	-1.17	0.25
विभिन्न निधियों में जमा किया गया ब्याज (इंट्रेस्ट डिफरेंशियल फंड में वृद्धि/ समायोजन सहित)	379.14	387.47
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	-3,030.63	-3,372.90
परिचालनगत आस्तियों में परिवर्तन के पहले परिचालनगत लाभ	**5,304.88**	**5,392.24**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	-734.60	7,981.54
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	3,362.80	2,799.06
ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	-78,478.84	-1,23,712.23
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित नकदी	**-70,545.76**	**-1,07,539.39**
आय कर का भुगतान-रिफ़ंड को घटाकर	-1,889.78	-1,762.44
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (अ)	**-72,435.54**	**-1,09,301.83**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	3,030.63	3,372.89
अचल आस्तियों की खरीद	-42.71	-83.72
अचल आस्तियों की बिक्री	8.02	1.37
निवेश में वृद्धि/ कमी	-21,048.46	-11,907.62
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	**-18,052.52**	**-8,617.08**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान	2,256.78	1,003.32
बॉन्डों की राशि	34,710.31	56,130.14
उधारों में वृद्धि / (कमी)	41,999.95	54,986.83
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	10,554.58	5,109.01
प्रारक्षित निधि से आहरण	-409.63	0.00
शेयर पूंजी में वृद्धि	2,000.00	1,000.00
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	**91,111.99**	**1,18,229.30**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	623.93	310.39
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1,462.56	1,152.17
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**2,086.49**	**1,462.56**

विवरण	*2021-22*	*2020-21*
1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं:	**2021-22**	**2020-21**
हस्ते में रोकड़	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	363.61	843.23
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियां	1,722.88	619.33
कुल	**2,086.49**	**1,462.56**

नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए रामकृष्णन मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 032271

आलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 25 मई 2022

डॉ. जी.आर. चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पीवीएस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक